

कार्यालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

रूपेश अग्रवाल

बनाम्

अंचल अधिकारी, सरिया

नामान्तरण अपील वाद संख्या.....03...../2022-23

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

24/09/22

आवेदक रूपेश अग्रवाल पिता स्व० रतनलाल अग्रवाल, साकिन-सरिया, थाना-सरिया, जिला गिरिडीह द्वारा आवेदन दाखिल किया है कि, मौजा-मंदरामो, थाना नं०-44 के अन्तर्गत खाता नं०-17, प्लॉट नं०-2170, पंजी-II के भोलुम नं०-28 पेज नं०-18 रकवा-02 डी० का अंचलाधिकारी सरिया के द्वारा दाखिल-खारिज केस नं०-343/21-22 के तहत पारित आदेश उनके हित के विरुद्ध है। अतः आदेश की समीक्षा हेतु यह अपीलवाद लाया गया है।

आवेदक द्वारा अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा नामान्तरण वाद सं०-343/21-22 में पारित आदेश की सत्यापित कॉपी की छया प्रति दाखिल किया गया है। बिलम्ब से अपील दायर करने की स्थिति को क्षांत करने हेतु लिमिटेशन एक्ट की धारा-5 के अंतर्गत आवेदन भी दायर किया गया है।

आवेदक के आवेदन में दाखिल दस्तावेजों के आधार पर वाद को पंजीकृत करें तथा सभी पक्षकारों को नोटिस निर्गत करें।

**अभिलेख दिनांक 12.10.22 को
उपस्थापित करें।**

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बगोदर-सरिया।

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
<u>12.10.22</u>	<p>भूमि लेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उषा (डिप्टी) पक्ष अनु०। पीठासीन पदा० अन्व कार्य में अस्त। भूमि लेख दिनांक 2.11.22 को रखें।</p>	
<u>2.11.22</u>	<p>उत्तर पक्ष उषा प्रथम पक्ष के द्वारा धर्म लखन के साथ एन्वायेज दारिदल किया गया। डिप्टी पक्ष यदि प्रति उत्तर देना चाहते हैं तो अगली तिथि को लिखित एवं मौखिक रूप में उत्तर करें।</p> <p>To 16/11/22</p> <p style="text-align: right;">२/११</p>	
<u>16/11/22</u>	<p>उत्तर पक्ष उषा डिप्टी पक्ष के द्वारा लिखित प्रति उत्तर दालिया किया गया है, परन्तु मौखिक रूप से आज अपना पक्ष नहीं रखना चाहते हैं। बहल हेतु अंतिम मौका दिया जाना है।</p> <p>To 23/11/22</p> <p style="text-align: right;">१६/११</p>	
<u>23.11.22</u>	<p>उत्तर पक्ष उषा भूमि लेख दिनांक 30.11.22 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">२३/११</p>	

5.12.22

आदेश

आदेश हेतु अभिलेख उरथापित। प्रश्नागत वाद अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा नामांतरण वाद संख्या-342/2021-22, 343/2021-22, 344/2021-22, 345/2021-22, 346/2021-22 एवं 347/2021-22 में पारित आदेश के विरुद्ध लाया गया है। चूंकि नामांतरण अपील वाद संख्या-02/2022-23, 03/2022-23, 04/2022-23, 05/2022-23, 06/2022-23 एवं 07/2022-23 एक ही प्रश्नागत भूमि दो पक्षकार से संबंधित है इसलिए सभी छः वादों को एक साथ समिलित कर सुनवाई की गई तथा तदनुसार यह आदेश पारित किया जा रहा है।

अपीलकर्ता के अनुसार मौजा-मंदरागों, थाना-सरिया में स्थित खाता नं०-17, प्लॉट नं०-2170, रकबा-12 डी० बजरिये केवाला सं०-10405 दिनांक-30.10.1979 द्वारा सहदेव मोदी को विक्रेता भातु महतो से हासिल है। सहदेव मोदी द्वितीय पक्ष के पिता हैं।

द्वितीय पक्ष के पिता सहदेव मोदी द्वारा अपने दोनों पुत्रों मनोज कुमार मोदी एवं अनिल कुमार मोदी को दिनांक-19.08.2003 को बँटवारा एग्रीमेंट के माध्यम से बराबर (06-06 डी०) भूमि दे दिया। उक्त मनोज कुमार मोदी ने निबंधित विक्रय पत्र सं०-1751 दिनांक-27.02.2009 के माध्यम से अपीलकर्ता के पिता स्व० रतन लाल अग्रवाल को 6 डी० जमीन बिक्री कर दिया। अपीलकर्ता के पिता भूमि क्रय के पश्चात् उक्त भूमि पर दखलकार हुवे तथा नामांतरण वाद संख्या-576/2012-13 के आदेशानुसार नामांतरण के पश्चात् सरकारी लगान रसीद भी निर्गत हो रहा है।

आगे अपीलकर्ता का कहना है कि शेष बची 06 डी० जमीन विपक्षी अनिल कुमार मोदी एवं उनकी माता सावित्री देवी निबंधित एग्रीमेंट संख्या-3092 दिनांक-23.03.2006 के द्वारा अपीलकर्ता की माता एवं पिता के पक्ष में भूमि विक्रय करने हेतु निबंधित इकरार निष्पादित किये। विपक्षी द्वारा उक्त इकरार के शर्तों के अनुसार अपीलकर्ता के पिता एवं माता के पक्ष में जमीन हस्तान्तरित करने से इंकार कर दिया। फलतः अपीलकर्ता के पिता एवं माता के द्वारा मानवीय राव जज गिरिडीह के न्यायालय में स्वत्व वाद संख्या-77/06 दाखिल किया गया जिसमें अपीलकर्ता के पिता एवं माता के पक्ष में आदेश पारित करते हुए विपक्षी को 60 दिनों के अंदर में विक्रय पत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया।

विपक्षी एवं विपक्षी की माता द्वारा मानवीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में स्वत्व वाद में पारित उक्त

आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने F.A. No.-05/2013 में दिनांक-26.02.2014 को यथारिथित बनाए रखने का आदेश पारित किया। इसी बीच विपक्षीगण के द्वारा बटवारा वाद संख्या-69/2006 माननीय सब जज गिरिडीह के न्यायालय में दाखिल किया गया तथा दिनांक-10.04.2013 को अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसमें पक्षकारों को एक बट्ट छः ($\frac{1}{6}$) भाग का हिस्सा दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस वाद में विपक्षी द्वारा अपीलकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉंची द्वारा F.A. No.-05/2013 में पारित आदेश को भी छुपाया गया। अंचल कार्यालय राँची में नामांतरण हेतु आवेदन दाखिल कर विपक्षी द्वारा अपने पक्ष में नामांतरण करवा लिया गया। नामांतरण के क्रम में अंचल अधिकारी, राँची के समक्ष भी माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉंची में पारित उक्त आदेश को छुपाया गया।

विपक्षी द्वारा लिखित अभिकथन दाखिल किया गया तथा मौखिक रूप से भी अपना पक्ष रखा गया। विपक्षी के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किये जाने के कारण स्वत्व वाद संख्या-77/06 लाया गया था तथा अपीलकर्ता के पक्ष में पारित आदेश के कार्यवाही पर माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉंची द्वारा Ex. वाद 02/2013 में रोक लगा दी गई फलतः प्रश्नागत जमीन पर उनका कोई हक नहीं बनता है। आगे विपक्षी का कहना है कि उनकी बहन, माँ एवं भाई के बीच पुरी सम्पत्ति के लिए बटवारा वाद संख्या-69/2006 सब जज गिरिडीह के न्यायालय में दाखिल किया गया था तथा पारित डिक्री के आधार पर आपस में जमीन का बटवारा कर दखलकार है। इस बटवारा वाद के आधार पर प्राप्त स्वत्व के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही की गई है अतः अंचल अधिकारी राँची द्वारा पारित नामांतरण वाद विधि-सम्मत है तथा इस अपील वाद को खारिज किया जाना चाहिए।

उभय पक्षों द्वारा दाखिल दस्तावेजों लिखित बहस एवं अंचलाधिकारी राँची के आदेश का अवलोकन किया जिससे निम्नांकित बातें सामने आई :-

1. अंचल अधिकारी, राँची ने अपने आदेश में अंकित किया है कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर नामांतरण की अनुशंसा की जाती है, लेकिन अंचल निरीक्षक एवं हल्का कर्मचारी की अनुशंसा अभिलेख में अंकित नहीं है।
2. अपीलकर्ता के पिता के नाम से प्रश्नागत भूमि में से 06 डी० जमीन की जमाबंदी नामांतरण वाद

1

2

3

संख्या-576/12-13 के द्वारा जमाबंदी कायम कर दी गई थी परन्तु इस नामांतरण के पश्चात भी उक्त मॉँग को यथावत रखा गया है जिससे दोहरी जमाबंदी कायम हो गई है।

3. विपक्षी के एक सदस्य मनोज कुमार मोदी के द्वारा शपथ पत्र दाखिल कर बतलाया गया है कि उनके द्वारा अंचल कार्यालय सरिया में नामांतरण वाद संख्या-325/2020-21 को दायर नहीं किया गया है न ही इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी है।
4. उक्त 6 डी० जमीन की जमाबंदी को पूर्व में ही विपक्षी के बड़े भाई के द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता के पिता के पक्ष में हस्तान्तरित किया जा चुका था जिसे बटवारा वाद संख्या-69/2006 में छुपाया गया एवं सम्पूर्ण 12 डी० जमीन का बटवारा किया गया।
5. उच्च न्यायालय झारखंड राँची में F.A. वाद संख्या-05/2013 में दिनांक-26.02.2014 को यथारिथति कायम रखने का आदेश पारित किया गया था अंचल अधिकारी सरिया द्वारा इस आदेश की अनदेखी कर नामांतरण की रवीकृति दी गई है जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।
6. Bihar Tenant's Holdings (Maintenance of Records) Act 1973 की धारा 14 (ii) के तहत आम इस्तेहार एवं संबंधित पक्षकारों को सूचना देकर नामांतरण वाद निष्पादित किये जाने का प्रावधान है। अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा अपीलकर्ता को नोटिस नहीं दी गई एवं सुना नहीं गया जबकि धारा 14(ii) के अंतर्गत यह प्रावधानित है।

उक्त तथ्यों के आलोक में Bihar Tenant's Holdings (Maintenance of Records) Act 1973 की धारा 15 के तहत दायर इस अपील वाद को रवीकृत किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा पारित नामांतरण आदेश को अरवीकृत किया जाता है। उक्त आदेश से अंचल अधिकारी, सरिया को सूचित कराएँ।
लेखापित एवं सत्यापित।

भूमि सुधार
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

भूमि सुधार
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)